

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1436

गुरुवार, 26 जुलाई, 2018/4 श्रावण, 1940 (शक)

पुराने निजी वाहनों को कबाड़ घोषित करना

1436. डॉ. उदित राज:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कितने समय के पश्चात् निजी वाहनों को अनिवार्य रूप से कबाड़ घोषित किया जाना है और इस संबंध में सरकार के पास विचाराधीन नीति का ब्यौरा यदि कोई हो तो क्या है;
- (ख) टोल टैक्स ऑपरेटर यदि फास्ट टैग को जानबूझकर मना करे तो उन पर क्या अर्थदंड लगाया जाता है;
- (ग) गाजियाबाद के डासना टोल द्वारा कितनी टैक्स की धनराशि एकत्र करना शेष है और उक्त टोल के पूर्णरूप से वसूली के लिए कितना समय शेष है; और
- (घ) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त टोल को गुंडे चलाते हैं और मनमाना टैक्स वसूल करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क): इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख): राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 में यह प्रावधान है कि यदि कोई वाहन प्रयोक्ता जिसके पास वैध क्रियात्मक फास्टैग है या संबद्ध खाते में पर्याप्त शेष वाली ऐसी युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना संस्थापित एक शुल्क प्लाजा से गुजरते समय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना के काम नहीं करने के कारण फास्टैग या इस प्रकार की किसी युक्ति के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं रहा है तो उस वाहन के प्रयोक्ता को किसी प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान किए बिना शुल्क प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ग): दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार डासना शुल्क प्लाजा के लिए 118.23 करोड़ रु. की पूंजीगत लागत का प्रत्युद्धरण अभी बाकी है । प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण पूंजीगत लागत के प्रत्युद्धरण के लिए किया जा रहा है । इसके अलावा, 11.25 किमी हापुड़ बाइपास के मौजूदा खंड को छोड़कर मौजूदा किमी 27.740 से मौजूदा किमी 49.346 तक हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर 6-लेन बनाने की परियोजना शुरू की गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के अनुसार, प्रयोक्ता शुल्क से पूंजीगत लागत के प्रत्युद्धरण के पश्चात् प्रभारित किए जाने वाले शुल्क

को राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे खंड, पुल, सुरंग या बाइपास, जैसा भी मामला हो, के लिए कम कर प्रयोक्ता शुल्क के 40% कर दिया जाएगा, जिसमें उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा ।

(घ): डासना राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण दिनांक 23.08.2012 की अधिसूचना का. आ. सं. 2048(अ) के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण किया जा रहा है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण अभिकरण का चयन किया है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया है । किसी शिकायत को उसके गुण-दोषों के आधार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा निवारण किया जाता है ।
